Request-96

From,

Maharani Din,
Deputy Registrar,
High Court of Judicature at
Allahabad.

Registered

To,

The District Judge,
Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

173

No. 5519 / IV- 2910/ Admin (A) / Dated 15-04-2013

Subject:- Information, as submitted by Sri Ramesh Kumar Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat) about sale of his old 32 bore Revolver and about purchase of a new 32 bore Revolver from Small Arms Factory, Kanpur.

Sir,

With reference to your endt. no. 1357/ XV dated 14.12.2012 on the above subject, I am directed to say that on consideration of explanation of Sri Ramesh Kumar Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat), the Court has been pleased to pass following order in the matter:-

D.R.(PD) Order placed below. May issue? 08.4.13 09.4.13 09-4-13

"In view of the circumstances mentioned by the officer in his explanation, the officer is directed to strictly follow the circulars issued by this Court from time to time and in case the officer violates any circular issued by this Court henceforth, it will be viewed very seriously and stern action may be taken.

The officer is required to apply for permission now in accordance with the circular."

Sri Yadav may, therefore, kindly be asked to comply with the Court's order accordingly.

Your faithfully
Maharani Din
11-4-13
Deputy Registrar

174

No. 5520 / IV- 2910/ Admin (A) / Dated 15-04-2013

Copy forwarded for information & necessary action to Sri Ramesh Kumar Yadav, Additional Chief Judicial Magistrate, Ramabai Nagar (Kanpur Dehat).

Maharani Din
11-4-13
Deputy Registrar

Request - 96

From,
Dinesh Gupta, H.J.S.
Registrar General,
High Court of Judicature at
Allahabad.

To,
All the District & Sessions Judges,
Subordinate to the High Court of Judicature at
Allahabad and,
Officers posted on deputation.

C.L. No. 11 / IV h- 16 / Admin (A) / Dated 12-4-2010

Subject :- Regarding permission for purchase of firearms by the judicial officers.

Sir/ Madam,

I am directed to say that all the judicial officers be directed that application to obtain necessary permission for purchase of firearm be made in the Court at the time of submission of application for grant of such licence.

You are further requested kindly to get it circulated among all the judicial officers working on deputation as well as in your judgeship.

Yours faithfully

12.4.10

Registrar General

No. 6078 / IV h-16/ Admin(A)/ dated 12-4-2010

Copy forwarded for information & necessary action:-

1. The Registrar, High Court of Judicature at Lucknow Bench, Lucknow.
2. P.S. To all the Hon'ble Judges at Allahabad and also at Lucknow Bench, Lucknow to place the same before their Lordships for kind perusal.
3. The Principal Secretary & L.R., Nayay Vibhag, U.P. Government, Lucknow
4. The Director, Institute of Judicial Training & Research, Gomti Nagar, Lucknow.
5. All the judicial officers posted in the Registry in Allahabad High Court and Lucknow Bench, Lucknow.
6. The Section Officer, Admin(H) section, for compilation of guard file.

12.4.10

Registrar General

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या–1, कानपुर देहात।

सेवा में,

श्रीमान् महरानीदीन
माननीय उप–निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषयः मा0 महोदय के पत्रांक संख्या–15807/IV–2910/एडमिन (ए), दिनांकित, इलाहाबाद 09–10–2012 के सन्दर्भ में:–

महोदय,

सादर उपर्युक्त विषयक में आहूत स्पष्टीकरण के संदर्भ में ससम्मान निवेदन है कि –

1– उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी के आचरण नियमावली 1956 की धारा–24 (2) के अनुसार– कोई सरकारी कर्मचारी जो अपने एक माह के मूल वेतन से अधिक मूल्य की किसी चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई व्यवहार करता है, चाहे वह क्रय, विक्रय के रूप में सम्पादित हो या अन्यथा, तो उसे तुरन्त ही ऐसे व्यवहार की रिपोर्ट समुचित प्राधिकारी के पास भेज देना चाहिए। किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय किसी ख्याति–प्राप्त व्यापारी या अच्छी साख के अभिकर्ता के साथ या द्वारा समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत के साथ, इस प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करेगा।

उक्त बिन्दु संख्या–1 के संदर्भ में सादर निवेदन है कि दिनांक 15–12–2001 को मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट महोदय ने मुझे रिवाल्वर क्रय करने हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–220/जी0 एस0 कर्वी, निर्गत किया था जिसके आधार पर मैंने रिवाल्वर संख्या–सी 5856

Request-96

(32बोर) क्रय किया तथा माननीय उच्च न्यायालय को संसूचित किया। मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या–2540/आयुध सहायक, दिनांकित नवम्बर 2, 2011 पर पारित आदेश के आधार पर प्राप्त अनुमति के प्रकाश में उपरोक्त रिवाल्वर संख्या–5856 मैंने वैध शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री मेहताव आलम निवासी ग्राम–सैदाबाद, तहसील–हण्डिया जिला–इलाहाबाद के पक्ष में चेक के जरिये 80,000 रूपये में दिनांक 09–11–2011 को विक्रय करने के उपरान्त मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या–2539/ आयुध सहायक नवम्बर 2, 2011 के आधार पर मा0 जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति सं.220/जी एस/कर्वी /2001 के स्थान पर निर्गत नवीन शस्त्र अनुज्ञप्ति 9835/ जी एस /2011 थाना नबाबगंज कानपुर नगर के आधार पर मैंने लघु आयुध निर्माणी कानपुर नगर, जो कि सरकारी संस्था है, से दिनांक 30–03–12 को मु0 1,14,912 रूपये में शस्त्र संख्या–ए 0900ए रिवाल्वर (32 बोर) क्रय किया तथा क्रय एवं विक्रय के संव्यवहार से मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट को दिनांक 21–11–2011 को तथा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को समस्त सुसंगत अभिलेखों सहित संसूचित किया, जिसका विस्तृत विवरण एवं उल्लेख मेरे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित पत्र दिनांक 09–11–11 एवं 07–04–12 तथा मा0 महोदय के पत्रांक संख्या–7534/ IV–2910/एडमिन (ए) दिनांकित 16–5–12 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 05–07–12 एवं पत्रांक संख्या–12517/ IV–2910/एडमिन (ए) दिनांकित 22–8–12 के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत स्पष्टीकरण दिनांक 13–09–12 में अंकित है तथा जिसकी छाया प्रतियां संलग्न प्रत्यावेदन है।

शस्त्र का क्रय एवं विक्रय संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति के बिना संभव नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि मैंने मा0

 Request-96

जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा प्राप्त अनुमति के आधार पर संदर्भित शस्त्र का क्रय एवं विक्रय करते हुए संव्यहार के समस्त तथ्यों से माननीय उच्च न्यायालय को नियमानुसार अवगत कराया है, अतः उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी के आचरण नियमावली के उपरोक्त नियम 24 (2) के अवज्ञा का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

2–माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर संख्या–11/IV–एच–16/एडमिन (ए) दिनांक 12–4–2010 के अनुसार–

"I am directed to say that all the judicial officers be directed that application to obtain permission for purchase of firearm be made in the Court at the time of submission of application for grant of such licence."

बिन्दु संख्या–2 के संबंध में सादर निवेदन है कि मा0 उच्च न्यायालय का उपरोक्त सर्कुलर लेटर उपबंधित करता है कि जो न्यायिक अधिकारी नवीन शस्त्र क्रय करना चाहता है उसके लिए अभीष्ट है कि वह शस्त्र हेतु अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के लिए मा0 उच्च न्यायालय को आवेदन करते समय शस्त्र क्रय करने की अनुमति भी मा0 उच्च न्यायालय से प्राप्त करें। मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्र संख्या–2539/आयुध सहायक दिनांकित नवम्बर 2, 2011 पर पारित आदेश के अधीन मा0 जिलाधिकारी कानपुर नगर ने मेरे शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–220/जी0 एस0 कर्वी को अपने रजिस्टर में अंकित किया जिसके कारण मेरे उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीन क्रमांक 9835/जी.एस./2011 थाना नवाबगंज जिला कानपुर नगर हो गया है। तदनुसार मेरे

द्वारा धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या–220 जी एस/कर्वी 2001 ही नवीन शस्त्र संख्या 9835 जी एस/2011 थाना नबाबगंज कानपुर नगर है। अत : मेरी शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 9835/जी एस/2011 थाना नबाबगंज कानपुर नगर, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सर्कुलर लेटर संख्या–11/ IV–एच–16/एडमिन (ए) दिनांक 12–4–2010 के पूर्व का होने के कारण माननीय उच्च न्यायालय के उक्त सर्कुलर लेटर से आच्छादित नहीं है।

श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि संदर्भित शस्त्र मैंने 80,000 रूपये में विक्रय किया है जब कि विक्रीत शस्त्र की लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर में वर्तमान कीमत 85,000 के लगभग है। मेरा विक्रीत शस्त्र दस वर्ष पुराना होने तथा लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर नगर द्वारा नवीन निर्मित शस्त्र (रिवाल्वर अनमोल 32 बोर) की मारक क्षमता अधिक होने के कारण पूर्व धारित रिवाल्वर संख्या–सी 5856 का विक्रय करके रिवाल्वर संख्या–ए 0900ए क्रय किया है। अतः स्पष्ट है कि मैंने किसी आर्थिक लाभ के लिए संदर्भित शस्त्र का विक्रय मैंने नहीं किया है। प्रकरण शस्त्र के क्रय एवं विक्रय से संबंधित है। शस्त्र का क्रय एवं विक्रय संबंधित जिलाधिकारी की अनुमति के बिना संभव नहीं है। संदर्भित शस्त्र के क्रय विक्रय में मैंने किसी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही उपरोक्त वर्णित किसी नियम की जानबूझकर अवहेलना किया है फिर भी यदि संदर्भित शस्त्र के क्रय एवं विक्रय में मेरे द्वारा भ्रम वश कोई त्रुटि कारित हो गयी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तथा भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। संदर्भित शस्त्र के क्रय एवं विक्रय संबंधित अभिलेखों की खोजबीन करने, न्यायालीय कार्य की व्यस्तता एवं ग्रेटर नोयडा में ट्रेनिंग में शामिल होने के कारण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में विलम्ब कारित हुआ है जिसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।

Request-96

अतः संदर्भित शस्त्र के क्रय विक्रय के परिप्रेक्ष्य में व्यय विवरण के निर्धारण हेतु चेक एवं पास बुक की स्वतः प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रत्यावेदन करते हुए उपरोक्तानुसार आख्या श्रीमान जी की सेवा में उचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

दिनांक 14-12-12

भवदीय

14.12.12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं.1
कानपुर देहात।

संलग्नकः-

1- शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-220/जी.एस. कर्वी की छाया प्रति।

2- शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या-9835/जी.एस./2011 थाना नबावगंज कानपुर नगर की छाया प्रति।

3- मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या-2539 व 2540 दिनांकित नवम्बर 2, 2011 की छाया प्रतियां।

4- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित पत्र दिनांक 09-11-11 एवं दिनांक 07-04-12 की छाया प्रतियां।

5- मा0 जिलाधिकारी चित्रकूट को प्रेषित पत्र दिनांक 21-11-11 की छाया प्रतियां।

6- विक्रय पत्र दिनांक 09-11-11 की छाया प्रति।

7- श्री महताव आलम द्वारा निर्गत चेक संख्या-867637 दिनांकित 09-11-11 की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।

8- लघु शस्त्र निर्माणी कानपुर नगर के विक्रय फार्म की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।

9- बैक ड्राफ्ट दिनांकित 28-12-11 की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।

10- पास बुक संख्या 10248648660 की स्वतः प्रमाणित छाया प्रति।

11- स्पष्टीकरण दिनांक 05-07-12 एवं 13-09-12 की छाया प्रति।

दिनांक 14-12-12

14.12.12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सं.1
कानपुर देहात।

Office of District Judge Ramabai Nagar, Judgeship
No. 1357/XV dated 14-12-2012.
Forwarded to Sri Maharani Deen, Dy. Registrar, Hon'ble High Court, Allahabad.
for necessary action.

14/12/2012
District Judge
Ramabai Nagar.

संलग्नक सं० 1

Request-96

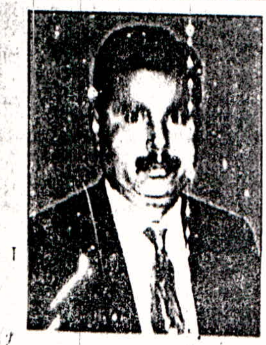

FORM III

Name of Licensee [illegible]

Father's Name

Age Date of Issue

Address

(1)

Request_96

Form No. III Contd.

	Arms & Ammunition that licence is entitled to possessed			Name of father/retainer	Name of Ammunition that retainer is entitled to possess		Area within which licence is valid	Date up to which licence is valid	Date on which arms shall be produced for inspection before licencing authority under rules 50 (2)
	Brief description of each Weapon with detailed e.g. identification marks register number etc.	Maximum to be possessed at any one time	Maximum purchasable		Arms	Ammunition			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[illegible]	NPB [illegible] 32 [illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	15-12-2008	22-3-2002

22-12-2001

(6)

(SEAL)
Licence Authority

Signature
Designation

(7)

22-12-2008

Request - 96

The arms covered by the licence shall be acquired and that the licence or the arms or the both shall be produced for his inspection and if within the period so specified or extended the licence or the arms or both, as the case may be the licence shall cease to be inforce

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal

renewed up to 31-12-2011

O. C. (A)
MIRZAPUR
24-12-08

(III)

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal [illegible] 08-12-11 [illegible]

प्रभारी अधिकारी (शस्त्र)
कानपुर नगर
03-12-11

(I)

Request-96

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal

[illegible] 2201 [illegible] मे [illegible] -5856 [illegible] [illegible] 2011 [illegible]

[illegible]

प्रभारी अधिकारी [illegible]
चित्रकूट
[illegible] 12. 11

FORM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of renewal

संलग्नक सं० 2

Request_96

लाईसेन्सी का नाम – [illegible] कुमार यादव सिविल लाइन्स

...of Licensee 9835/95/2011

Office of The [illegible] Magistrate Kanpur Nagar

[illegible] कानपुर नगर

Father's Name श्री सत्यनारायण

Age 46 वर्ष Date of Issue 23.12.2011.

Address ग्राम [illegible], थाना [illegible] जिला – [illegible], उ०प्र०

(1)

ह० [illegible]

Request - 96

The arms convered by the licence shall be aquired and that the licence or the arms or the both shall be produced for his inspection and if within th period so specified or exterded the licence or the arms or both , as the case may be the licence shall cease to be inforce .

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

Renewed upto 31-12-2014

A.D.M. (City)
Kanpur Nagar

24/1/14

FROM OF RENEWAL OF THE LICENCE

Date and year of Renewal

Request - 96

Name, Description and residence of licensee	Arms & Ammunition that licence is entitled to possessed: Brief Description of each Weapon with detailed e.g. identification marks register number etc.	Maximum to be possessed at any one time	Maximum purchase quantity during the year	Name Father's Name and retainer (if any) covered by the Licence	Name of Ammunition that retainer of entitled of possess: Arms	Ammunition	Area within which licence is valid	Date on which licence is valid	Date on which licence or the arms of both shall be produced for inspection before licencing authority under rules 50 (2)
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
लाइसेंस 9835 / जी०एस० / 2011		10 (दस)	25	Office of the District Magistrate			समस्त भारत में	31-12-2011	31-12-2011

(SEAL)

Licencing Authority

23-12-11

अधिकारी (शस्त्र)

कानपुर नगर

लाइसेंस सं० 220/55 ... 8-12-11 ...

संलग्नक सं०3-

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट,

Request-96

पत्रांक- 2540/आयुध सहायक दिनांक नवम्बर2, 2011

आदेश

श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी-अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट लाइसेन्स संख्या-220/थाना-जी0एस0-कर्वी/2001 शस्त्र एन0पी0बोर रिवांल्वर/पिस्टल संख्या-सी-5856-32बोर के धारक है, प्रार्थी अपने उक्त शस्त्र एन0पी0बोर रिवांल्वर संख्या-सी-5856-32बोर को किसी बैद्य शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता की दुकान में विक्रय कर नया शस्त्र क्रय करने की अनुमति दिए जाने की प्रार्थना की है।

अतः श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी-अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद जो तत्कालीन सिविल जज (जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट के लाइसेन्स संख्या-220/थाना-जी0एस0/2001 में अच्छादित शस्त्र रिवांल्वर संख्या-सी-5856-32बोर को बैध शस्त्र लाइसेन्सी अथवा शस्त्र विक्रेता को विक्रय कर नया शस्त्र तीन माह के अन्दर क्रय कर प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट,चित्रकूट।

प्रतिलिपि श्री रमेश कुमार यादव सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रमाबाई नगर(उ0प्र0) को उनके प्रार्थना पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र
कृते जिला मजिस्ट्रेट,चित्रकूट।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट

संलग्नक सं०3

Request-96

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,
चित्रकूट।

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट,
कानपुर नगर(उ0प्र0)

संख्या2539 /आयुध सहायक

दिनांक नवम्बर02, 2011

विषय- शस्त्र लाइसेन्स संख्या-220/जी0एस0कर्वी की सत्यापन आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-मेमो/ए0एल0सी0-सत्यापन/नवीनीकरण दिनांक-13-10-2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि श्री रमेश कुमार यादव पुत्र श्री सत्यनारायण यादव निवासी अंजना थाना-हंडिया जनपद-इलाहाबाद तत्कालीन सिविल जज(जुडीशियल मजिस्ट्रेट) जनपद-चित्रकूट,को जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट के आदेश दिनांक-15-12-2001 द्वारा शस्त्र एन0पी0बोर रिवांल्वर/पिस्टल का लाइसेन्स स्वीकृत एवं निर्गत किया गया है। जिसका लाइसेन्स संख्या-220/जी0एस0कर्वी शस्त्र एन0पी0बोर रिवांल्वर/पिस्टल संख्या-सी- 5856-32बोर सीमा सम्पूर्ण भारतवर्ष है। शस्त्र रजिस्टर के अनुसार नवीनीकरण तिथि 15-12-2008 अंकित है।

उक्त शस्त्र लाइसेन्स का पंजीकरण/नवीनीकरण यदि आपके यहां किया जाता है तो अधोहस्ताक्षरी को कोई आपत्ति न होगी।

भवदीय,

प्रभारी अधिकारी "शस्त्र"
कृते जिला मजिस्ट्रेट-चित्रकूट।

संलग्नक सं० 4

Request-96

प्रेषकः

रमेश कुमार यादव
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
कानपुर देहात।

सेवा मे,
महा-निबन्धक महोदय,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
रमाबाई नगर।

विषयःशस्त्र क्रय किए जाने के सन्दर्भ में :-

महोदय,

सम्मानपूर्वक निवेदन है कि मैंनें अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0 220/जी0एस.कर्वी/2001 से आच्छादित रिवाल्वर सं0 सीः5856 एनपीबी 32बोर माननीय जिला मजिस्ट्रेट चित्रकूट के पत्रांक सं0 2540 दिनांकित 2.11.11 के आधार पर शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व0 मुश्ताक अली अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र सं0 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर 80,000रू0 में दिनांक 9.11.2011 को विक्रय करने के उपरांत लघु आयुध निर्माणी कानपुर से जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा पुनर्नवीकृत करके निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0 9835/जी0एस0/2011 के आधार पर दिनांक 30.3.2012 को मुबलिग 1,14,912रू0 में क्रय कर लिया है। संबंधित अभिलेख संलग्न आवेदन हैं। सूचना श्रीमान् जी के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना आवश्यक है।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि मेरा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष सहानुभूतिपूर्वक विचार हेतु रखे जाने की कृपा करें।

आदर सहित।

दिनांकः07.04.2012

संलग्नकःयथोपरि

भवदीय,
Yadav
07.04.12

(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

Ramabai Nagar Judgeship at, Kanpur.

No. 415/XV Dated: 09-4-2012.

Forwarded to the Registrar General, Hon'ble High Court of Judicature at, Allahabad for necessary action.

09.4.12
District Judge,
Ramabai Nagar.

संलग्नक सं. 4

Request-96

प्रेषकः

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

सेवा मे,

माननीय महा-निबन्धक महोदय,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वाराः माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,
जनपद रमाबाई नगर।

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि मैंने माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट द्वारा पत्रांक सं0 2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दि0 नवम्बर 2, सन् 2011 के आधार पर अपने शस्त्र लाईसेन्स सं0 220/थाना--जी0एस0 कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर सं0 सी-5856(32 बोर) को वैध शस्त्र लाइसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र सं0 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर आज दिनांक 09.11.2011 को 80,000रू0(अस्सी हजार रू0) में केता द्वारा निर्गत बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा सैदाबाद के चेक सं0 867637 के आधार पर विकय कर दिया है। केता का कोई भी मुकदमा मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही उनका कोई वाद मेरे द्वारा पूर्व में निस्तारित किया गया है। केता मेरे मूल निवास से संबंधित खण्ड विकास के निवासी हैं।

सूचना श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

आदर सहित।

भवदीय,
Yadav 09.11.11
(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर।

दिनांकः09.11.2011

संलग्नकः

1. माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट के आदेश दिनांक 2.11.2011 की छाया प्रति।
2. विकय पत्र दिनांकित 9.11.2011 की छाया प्रति।
3. चेक सं0 867637 की छाया प्रति।

संलग्नक सं०5

Request-96

प्रेषकः

रमेश कुमार यादव,
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर/कानपुर देहात।

सेवा मे,

श्रीमान् जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र,
चित्रकूट ।

महोदय,

सम्मानपूर्वक निवेदन है कि आपके पत्रांक सं0 2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दिनांक 02.11.2011 के आधार पर मैंने शस्त्र लाइसेन्स सं0 220/जी0एस0 थाना-कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर सं0 सी-5856(32 बोर) को वैध शस्त्र लाईसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद निवासी ग्राम सैदाबाद थाना हण्डिया जिला इलाहाबाद के वैध शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0 10617/2011 थाना हण्डिया के आधार पर दिनांक 09.11.2011 को विक्रय कर दिया है।

सूचना श्रीमान् जी की सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

आदर सहित।

भवदीय,
Yadav 21.12.11

दिनांकः 21.12.2011

(रमेश कुमार यादव)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
रमाबाई नगर/कानपुर देहात।

संलग्नकः
1.विक्रय पत्र की छाया प्रति
2.श्रीमान् जी के आदेश दिः 2 नवम्बर 11 की छाया प्रति

वर्तमान पताः
टाइपः IV/VII-रावतपुर आफिसर्स कालोनी, कानपुर नगर।

AC
29.12.2011

संलग्नक सं०6.

Request-96

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 44AB 001356

विक्रय पत्र

माननीय जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी शस्त्र चित्रकूट द्वारा पत्रांक सं0–2540/आयुध सहायक पर पारित आदेश दिनांक– नवम्बर 2, सन– 2011 (छायाप्रति सलंग्न) के आधार पर मैने शस्त्र लाइसेन्स संख्या–220/ थाना– जी0एस0 कर्वी/2001 से आच्छादित शस्त्र रिवाल्वर संख्या–ली-5856 (32 बोर) को वैध शस्त्र लाइसेन्सी श्री मेहताब आलम पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद निवासी–ग्राम [illegible] थाना– [illegible] जिला–इलाहाबाद के वैध शस्त्र संख्या–10617/2011 थाना–[illegible] के आधार पर आज दिनांक–09–11–2011 को 80,000/–रू0(अस्सी हजार रूपये) [illegible] उत्तर प्रदेश [illegible] बैंक शाखा– सैदाबाद के चेक सं0– 867637 के आधार पर [illegible] कर दिया

हस्ताक्षर केता–

मेहताब आलम

मेहताब आलम

पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद

निवासी– ग्राम सैदाबाद

थाना– हण्डिया

जिला– इलाहाबाद

हस्ताक्षर विकेता

09.11.11

रमेश कुमार यादव

पुत्र श्री [illegible] नारायण यादव

निवासी– [illegible]

पोस्ट–सैदाबाद थाना–हण्डिया

जिला– इलाहाबाद

सिविल जज सी0डि0 रमाबाई नगर।

Collectorate Court

Certified that this document presented before me is executed by ... who is identified by Sri ... verified and identification. Hence Attested

Notary ... State of India

Ramabai Nagar (U.P.)

मूल प्रति प्राप्त किया

मेहताब आलम 09-11-11

संलग्नक सं० 7.

Request-96

बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
(प्रायोजक : बैंक ऑफ बड़ौदा)
BARODA UTTAR PRADESH GRAMIN BANK
(Sponsored by : BANK OF BARODA)

चालू खाता / Current Account

ब.प. LF.		ल.ह. INTLS.	

दिनांक/Date 9-11-2011

PAY Ramesh Kumar Yadav या धारक को OR BEARER

रुपये RUPEES Eighty Thousand only अदा करें

रु. Rs. 80,000/—

खा.सं. A/c.No. 6280—

खा :
anch :

L/CA/2009/A

867637

Mehtab Alam.

Self attested.
Yadav
14.12.12

प्रोत्साहन सं० 8

APPLICATION FORM FOR BOOKING OF Revolver 32 MK III/ANMOL 32(7.65mm) REVOLVER (LONG BARREL)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
INDIAN ORDNANCE FACTORIES
SMALL ARMS FACTORY
KALPI ROAD
KANPUR (U.P.)
PIN - 208009

Gram : SAF AC
Tel : 0512-2295042 TO 46
Ext. - 5292 & 5688
FAX : 0512-2296229

FOR OFFICIAL USE ONLY

प्राप्ति
लघु शस्त्र निर्माणी
कानपुर

29/12/11

Request-96

Diary No.

Diary Date :

Booking No. :

To:
The General Manager
Small Arms Factory
Kalpi Road, Kanpur-208 009.

(All entries should be neatly written/typed in CAPITAL letters)

1. Full Name	RAMESH KUMAR YADAV
2. Father's/Husband's Name	SRI SATYANARAYAN YADAV
3. Telephone No. With STD Code	0512-2540100
4. Full Postal Address	T. IV/7, RAWATPUR OFFICER COLONY P. S. NAWABGANJ KANPUR NAGAR, PIN-208002
5. Permanent Address	VILLAGE. ANJANA, POST-SAIDABAD P.S. HANDIA DISTT- ALLAHABAD (U.P.) 221508
6. a. ARMS LICENSE No. **b. Whether license valid for 0.32" or N.P. Bore Revolver** **c. Arms License Valid Area** **d. Arms License Valid Date** **e. Arms License Issuing Authority**	9835/G.S./2011 YES/~~NO~~ ALL INDIA 31.12.2014 DISTRICT MAGISTRATE KANPUR NAGAR
7. Arms License Address	DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR (T.IV/7, Rawatpur Officer Colony Kanpur Nagar)
8. Full Postal address of licensing authority	DISTRICT MAGISTRATE, KANPUR NAGAR PINCODE 208001 Telephone No. With STD Code 0512-2304436
9. a. Bank Draft No. & Date **b. Bank's Name & Branch** **(Please see instruction no. 2)**	749733, 749734, 749735- 20.12.11 UCO BANK, KANPUR NAGAR (Kalpi Road)
10. Speciman Signature of the applicant	(i) [signature] 20.12.11 (ii) [signature] 20.12.11
11. Tick the Arms	✓ a. Anmol 32 (7.65 mm) Long Barrel ₹110774.00 (Inclusive Taxes) b. Revolver 32 (7.65mm) MK-III ₹84082.00 (Inclusive Taxes)

Encl. : 1. Bank Draft of Rs. 110774.00
2. Two Copy of Arms License dully attested.

INSTRUCTIONS FOR FILLING OF FORM

1. All entries in form should be filled in BLOCK CAPITAL LETTERS or neatly typed.
2. Enclose a crossed bank draft of requisite amount which Drawn in favour of the General Manager.
3. Enclose two attested photocopy of your valid Arms License for NP bore Revolver issued by the Licensing Authority.

Self attested.
[signature] 14.12.12

(For Instructions, Terms & Conditions please see Page 2)

संलग्नक-9

अदायगी आदेश PAY ORDER ARMAPUR ESTATE, KANPUR 0384 केवल छः महीने के लिए वैध VALID FOR SIX MONTHS ONLY 28-12-2011

PAY GM SAF को या उनके आदेशपर OR ORDER

रुपये RUPEES Twelve Thousand Seven Hundred Seventy Four only अदा करें रु.Rs. ******12,774.00

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

Request-96

यूको बैंक
UCO Bank
अर्मापुर इस्टेट, कानपुर - 208 009.
CPO ARMAPUR ESTATE, KANPUR - 208 009.

****** Not Over INR. 12,774.00 ******

स० प्रबन्धक / Astt. MANAGER

कृते यूको बैंक For UCO Bank

प्रबन्धक / MANAGER (भ. नि. स. सं. / P.F.M. NO.)

"749735" 208028007: 12

अदायगी आदेश PAY ORDER ARMAPUR ESTATE, KANPUR 0384 केवल छः महीने के लिए वैध VALID FOR SIX MONTHS ONLY 28-12-2011

PAY GM SAF को या उनके आदेशपर OR ORDER

रुपये RUPEES Forty Nine Thousand only अदा करें रु.Rs. ******49,000.00

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

यूको बैंक
UCO Bank
अर्मापुर इस्टेट, कानपुर - 208 009.
CPO ARMAPUR ESTATE, KANPUR - 208 009.

****** Not Over INR. 49,000.00 ******

स० प्रबन्धक / Astt. MANAGER

कृते यूको बैंक For UCO Bank

प्रबन्धक / MANAGER (भ. नि. स. सं. / P.F.M. NO.)

"749734" 208028007: 12

अदायगी आदेश PAY ORDER ARMAPUR ESTATE, KANPUR 0384 केवल छः महीने के लिए वैध VALID FOR SIX MONTHS ONLY 28-12-2011

PAY GM SAF को या उनके आदेशपर OR ORDER

रुपये RUPEES Forty Nine Thousand only अदा करें रु.Rs. ******49,000.00

अपरक्राम्य NOT NEGOTIABLE

यूको बैंक
UCO Bank
अर्मापुर इस्टेट, कानपुर - 208 009.
CPO ARMAPUR ESTATE, KANPUR - 208 009.

****** Not Over INR. 49,000.00 ******

स० प्रबन्धक / Astt. MANAGER

कृते यूको बैंक For UCO Bank

प्रबन्धक / MANAGER (भ. नि. स. सं. / P.F.M. NO.)

"749733" 208028007: 12

Self attested

14/12/12

संलग्नक सं०

Request-96

Generally used abbreviations

a/c = Account	dep = Deposit	Pr = Principal
adj = Adjustment	Dft = Draft	proc = Processing Charge
Amt = Amount	dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
Ar = Arrear	DR = Debit	ret/rtn = Return
bal = Balance	DoB = Date of Birth	Rnd = Round off
Capn = Capitalization	eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
chg/ch = Charge	Inop = Inoperative	SC = Short Credit
chq = Cheque	ins = insurance	SI/So/SORD = Standing Instruction
Clos = Closure	int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husbandof
coll = Collection	lon/ln = Loan	tr/trf/xfer = Transfer
comm = Commission	min = Minimum	TT = Telegraphic Transfer
COR/CORR = Correction	os = Outstanding	txn = Transaction
CR = Credit	P & T = Postage & Telegram	Wdl = Withdrawal
csh = Cash	Pos = Point of sale	+MOD bal=total balance (SB+linked MOD a/c)

भारतीय स्टेट बैंक

State Bank of India

Savings Bank Account
CIF No : 80192793263
Account No : 10248648660
Customer Name: RAMESH KUMAR YADAV

S/D/W/H/o: SATYA NARAIN YADAV
Address: CIVIL JUDGE
SENIOR DIVISION
DISTRICT COURT
Phone:
Email:
D.O.B. (If Minor):
MOP.: SINGLE CONTINUATION
Nom. Reg. No.: 0000000014088460

KANPUR MAIN BRANCH
16/101

Phone: 2304091
Email: SBI.00107@SBI.CO.IN
Branch Code: 107
Date of Issue: 14/12/2012
14/12/2012 2494787 107
IFSC: SBIN0000107

शाखा प्रबन्धक
Branch Manager

DATE	PARTICULARS	CHEQUE NO.	DEBIT	CREDIT	BALANCE
				Brought Forward	640033.33Cr
29.11.11	ATM 2906 SBI SHESH SADAN KANPUR		10000.00		630033.33Cr
06.12.11	POS 250042 MONTE CARLO KANPU		2788.00		627245.33Cr
06.12.11	POS 540480 MCS FASSHIONZ-WLS KANPU		1749.00		625496.33Cr
09.12.11	LOCL	538976288		67470.00	692966.33Cr
23.12.11	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		10000.00		682966.33Cr
23.12.11	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		10000.00		672966.33Cr
23.12.11	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		5000.00		667966.33Cr
28.12.11	ATM 5105 UCO BANK KANPUR		10000.00		657966.33Cr
28.12.11	ATM 5106 UCO BANK KANPUR		10000.00		647966.33Cr
31.12.11	INTEREST CREDIT			12551.00	660517.33Cr
07.01.12	POS 216983 LIMITED.BIRHANA ROAD KANPUR		10000.00		650517.33Cr
07.01.12	POS 217117 LIMITED.BIRHANA ROAD KANPUR		20000.00		630517.33Cr
08.01.12	ATM 6737 PUNJAB NATIONAL BANK ALLAHABA		10000.00		[illegible]
08.01.12	ATM 6738 PUNJAB NATIONAL BANK ALLAHABA		10000.00		610517.33Cr
09.01.12	LOCL	538976288		67463.00	677980.33Cr
15.01.12	ATM 8378 SBP C.VIL LINES ALLAHABA		15000.00		662980.33Cr
19.01.12	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		7500.00		655480.33Cr
22.01.12	POS 240381 AMIT SPORTS KANPU		10000.00		645480.33Cr
28.01.12	ATM 1113 ANDHRA BANK KANPUR		5000.00		640480.33Cr
01.02.12	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		10000.00		630480.33Cr
01.02.12	ATM 67812 CIVIL LINES KANPUR KANPUR/		10000.00		620480.33Cr
03.02.12	ATM 7605 BOB KANPUR		10000.00		610480.33Cr
03.02.12	ATM 7606 BOB KANPUR		10000.00		600480.33Cr
04.02.12	LOCL	538976288		42597.00	643077.33Cr
10.02.12	SC: 69881719LOD AMT 14483.000D	31826			643077.33Cr
12.02.12	ATM ANNUAL FEE - 6220180800300041848- 20		100.00		642977.33Cr
25.02.12	SC: 69881719PAID	31826		14483.00	657460.33Cr
				Carried Forward	657460.33Cr

Self attested.
Yadav
14.12.12

संलग्नक सं० 11

Request-96

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1 रमाबाई नगर।

सेवा में,

श्रीमान महरानीदीन
उपनिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
रमाबाई नगर ।

विषयः पत्रांक संख्या-7534/I -2910/ एडमिन (ए) दिनांकित इलाहाबाद 16.05.12 के संदर्भ में :-

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के संदर्भ में सम्मान पूर्वक निवेदन है कि मैंने श्रीमान जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा निर्गत सशत्र अनुज्ञप्ति संख्या-220/ सी0 एस/02001 कर्वी चित्रकूट से आच्छादित रिवाल्वर संख्या-सी5856एन पी32 बोर क्रय किया था जो माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में है। मेरी उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति श्रीमान जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा पुनर्नवीकृत करके निर्गत किया गया जो शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 9835 जी0 एस0/2011/थाना नबावगंज कानपुर नगर के रूप में है। तदनुसार मेरी उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीन नहीं है।

शस्त्र का क्रय व विक्रय बिना जिलाधिकारी की अनुमति के संभव नहीं है। अतः श्रीमान् जिलाधिकारी चित्रकूट के पत्रांक संख्या-2540 दिनांकित 02.11.11 के आधार पर उपरोक्त शस्त्र को विक्रय करके नवीन शस्त्र क्रय करने की प्राप्त अनुमति के उपरान्त उपरोक्त शस्त्र विक्रय करके उक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति के आधार पर शासकीय संस्था लघु आयुध निर्माणी कानपुर से नवीन शस्त्र क्रय करने के उपरान्त मैंने माननीय उच्च न्यायालय को समस्त सुसंगत अभिलेखों एवं विवरणों के साथ तत्काल संसूचित किया है जिसकी छाया प्रतियाँ श्रीमान जी के अवलोकनार्थ संलग्न आवेदन है। मैंने प्रश्नगत शस्त्र का क्रय एवं विक्रय करने

शेष पेज संख्या-2 पर

Request-96

में जानबूझकर किसी नियम या व्यवस्था का उल्लघंन नहीं किया है। यदि मेरे द्वारा भ्रमवश कोई त्रुटि कारित हो गयी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।

अतः श्रीमान् जी से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त दर्शित परिस्थितियों के प्रकाश में मेरे प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने की कृपा करें।

सादर

दिनांक 05-07.12

(रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1, रमाबाई नगर।

संलग्नक

1 श्रीमान् जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश दिनांक 02.11.11 की छाया प्रति।

2-प्रार्थना पत्र दिनांक 09.11.11 एवं 07.04.12 की छाया प्रति।

3-शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।

4-विकय पत्र की छाया प्रति।

5-चेक की छाया प्रति।

6-चालान की छाया प्रति।

Office of District Judge Ramabai Nagar, Judgeship
No. 762/XI dated 05-7-2012.
Forwarded to Sri Mahamanidhan, Dy. Registrar, Hon'ble High Court, Allahabad.
for necessary action.

District Judge
Ramabai Nagar.
05-7-12.

संलग्नक सं. 11.

Request-96

प्रेषक,

रमेश कुमार यादव
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1, कानपुर देहात।

सेवा में,

श्रीमान् महरानीदीन
माननीय उप-निबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश,
कानपुर देहात।

विषय: **<u>माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 12517/IV-2910/एडमिन-ए, दिनांकित, इलाहाबाद 22-8-2012 के सन्दर्भ में :</u>**

महोदय,

ससम्मान विनम्र निवेदन है कि उपर्युक्त विषयक के सन्दर्भ में आहूत आख्या माननीय उच्च न्यायालय के सर्कुलर लेटर संख्या 25/ एडमिन (ए) दिनांकित 13 जुलाई, [illegible] के प्रकाश में निम्नवत है:-

क्रम संख्या-1 नियुक्ति की तिथि 24-3-2001

क्रम संख्या-2 वर्तमान सकल मासिक वेतन एवं शुद्ध मासिक वेतन क्रमशः 77621, व 66221

क्रम संख्या-3 रिवाल्वर संख्या ए.09000ए, 32 बोर क्रय करने की तिथि 30-03-2012, कीमत मु01,14,912 रु0।

क्रम संख्या-4 माननीय उच्च न्यायालय से रिवाल्वर क्रय करने हेतु अग्रिम ऋण के रूप में कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गयी है।

क्रम संख्या-5 किसी बैंक या किसी संस्था से रिवाल्वर क्रय करने हेतु ऋण नहीं लिया गया है।

क्रम संख्या-6 वाहन क्रय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।

क्रम संख्या-7 भूमि क्रय करने से संबंधित है, अतः लागू नहीं होता।

Request-96

क्रम संख्या-8 नाम विक्रेता लघु आयुध निर्माणी कानपुर ।

क्रम संख्या-9 जी हाँ।

क्रम संख्या-10 जी नहीं, विक्रेता से मेरा किसी प्रकार का संबंध नहीं है। विक्रेता का कोई वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही पूर्व में कोई वाद विक्रेता के पक्ष में मेरे द्वारा निर्णीत किया गया है।

क्रम संख्या-11 अपने पूर्वधारित शस्त्र संख्या सी-5856, 32 बोर का विक्रय करने से प्राप्त 80,000 रूपये की धनराशि तथा शेष धनराशि अपने निजी बचत खाता से आहरित करके बैंक ड्राफ्ट जमा करके क्रय किया गया है।

उल्लेखनीय है कि शस्त्र संख्या सी. 5856 एवं ए 0900ए के क्रय एवं विक्रय के सन्दर्भ में श्रीमान् जी द्वारा पूर्व में पत्रांक सं.7534/V-2910/एडमिन (ए) दिनांकित 16-05-12 के आधार पर आहूत आख्या के परिप्रेक्ष्य में सुसंगत अभिलेखों के साथ स्पष्टीकरण दिनांक 05-08-2012 को प्रेषित किया गया है। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि माननीय जिलाधिकारी चित्रकूट द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या 2540, दिनांक 2 नवम्बर, 2011 द्वारा वैध शस्त्रधारी के पक्ष में शस्त्र संख्या सी. 5856, 32बोर का विक्रय करके नवीन शस्त्र क्रय करने हेतु प्राप्त अनुज्ञप्ति के आधार पर उक्त शस्त्र श्री महेताब आलम निवासी सौदाबाद थाना हंडिया जिला इलाहाबाद के पक्ष में 80,000 रूपये के चेक के माध्यम से (वर्तमान मूल्य 86,000 रूपये) प्राप्त करके दिनांक 09.11.2011 को विक्रय किया है। उक्त शस्त्र के विक्रेता श्री महेताब आलम का कोई मुकदमा मेरे द्वारा निर्णीत नहीं किया गया है, न ही उसका कोई वाद मेरे न्यायालय में विचाराधीन ही है।

शेष पेज संख्या-3 पर

Request-96

श्रीमान जी की सेवा में उपरोक्तानुसार सुसंगत अभिलेखों के साथ आख्या अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित किया जा रहा है।

Yadav
13.09.12

दिनांक 13.09.12 (रमेश कुमार यादव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय कक्ष संख्या-1,कानपुर देहात।

संलग्नक

1-श्रीमान् जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश दिनांक 02.11.11की छाया प्रति।

2-प्रार्थना-पत्र दिनांक 09.11.11, 07.04.12 एवं 5.7.12 की छाया प्रति।

3-शस्त्र अनुज्ञप्ति के कानपुर नगर में पंजीकृत हेतु जिलाधिकारी चित्रकूट के आदेश दिनांक 02.11.11 की छाया प्रति।

4-शस्त्र अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।

5-विक्रय पत्र की छाया प्रति।

6-चेक की छाया प्रति

7-लघु आयुध निर्माणी कानपुर को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र की छाया प्रति।

8-ड्राफ्ट की छाया प्रति।

RAMABAI NAGAR (KANPUR DEHAT) JUDGESHIP, KANPUR.

No. 1060/XV. Dated : 13-9-2012.

Forwarded to Sri Maharajdin, Deputy Registrar, Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad for necessary action.

District Judge,
Ramabai Nagar.

Digitally signed by Sant Lal Sharma
Date: 2019.11.06 10:18:23 IST
Reason: A.R.(ADMIN-H)
Location: High Court, Allahabad